अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 339/19-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
6.3.2020	वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एव कार्रवाई से संबंधित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि मौजा- नौडीहा, थाना नं0- 119 खाता संख्या- 10 प्लॉट सख्या- 1263 रकबा- 10डी0 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 185 पर जमाबंदी रैयत मनासा रजवार पिता- फुदु रजवार के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता हैं, कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता हैं कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती हैं जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक- 20.3.2020 को उपस्थापित करें। 06/3/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

20.03.2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया। अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजे। 20/3/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	